

पञ्जाब प्रशासन विभाग (राज.)

20/11/23 परवर्षी पुरा इका नवीन उच्च प्रश्न उपोपल का
पञ्जाब के मुख्य विधिक न्यायालय से शरीरमा
झेपले से निरुद्ध हो गया है। उच्च न्यायालय
अदालत निवेदन को नकारे का कोई भी
नहीं रह जाता है। इस विषय पर अदालत
निवेदन को नकारा गया है। काफ़ूर
होकर परवर्षी सलंगन पर काफ़ूर है।

उपरोक्त अधिकारी
पञ्जाब प्रशासन विभाग (राज.)

पञ्जाब प्रशासन विभाग (राज.)
20/11/23